झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा

द्वितीय (बजट)– सत्र

वर्ग– 02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक– 13 फाल्गुन, 1941 [श0] को 03 मार्च, 2020 [ई0] झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
21	टन–13	श्री इन्द्रजीत महतो	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	24.02.20
22	उत–5	श्री अनन्त कुमार ओझा	उच्चतर शिक्षा व्यवस्था	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	23.02.20
23	स–4	श्री किशुन कुमार दास	इंटर कॉलेज का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.20
24	टन–3	श्री अमित कुमार मण्डल	पर्यटन को बढ़ावा	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	20.02.20
25	वन–1	श्री सुदिव्य कुमार	जमीन का पट्टा देना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	18.02.20
26	टन–5	डॉ0 लम्बोदर महतो	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.02.20
27	टन–14	श्री कमलेश कुमार सिंह	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	25.02.20

01	02	03	04	05	06
28	वन–7	श्री बिरंची नारायण	वृक्षारोपन की व्यवस्था	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.02.20
29	उत्त–7	श्री दशरथ गागराई	पढ़ाई प्रारम्भ कराना	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	24.02.20
30	टन–8	श्री केदार हजरा	स्टेडियम का जिर्णोद्धार	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.02.20
31	उत्त–4	श्री केदार हजरा	डिग्री महाविद्यालय खेलना	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	22.02.20
32	टन–1	श्री मथुरा प्रसाद महतो	पर्यटक स्थल का दर्जा	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	18.02.20
33	टन–6	श्री सोनाराम सिंकु	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.02.20
34	स–10	श्री उमाशंकर अकेला	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	23.02.20
35	ख–7	श्री दिनेश विलियम मरांडी	कम्पनी पर कार्रवाई	खान एवं भूतत्व	25.02.20
36	वन–3	श्री सरयु राय	कैश ले जाने का उद्देश्य	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	22.02.20
37	उ–2	श्री अनन्त कुमार ओझा	अद्यौगिक ईकाई की स्थापना	उद्योग	23.02.20
38	ख–1	श्री अमित कुमार मण्डल	अवैध बालू खनन में लगे वाहनों पर रोक	खान एवं भूतत्व	20.02.20
39	टन–4	डॉ लम्बोदर महतो	पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	22.02.20
40	स–1	श्री मथुरा प्रसाद महतो	खोरठा एवं ओलचिकी भाषा की पढ़ाई	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.02.20
41	वन–8	श्री दशरथ गागराई	सड़क का निर्माण	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	24.02.20
42	उत्त–2	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	पठन पाठन–की व्यवस्था	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	20.02.20
43	स–12	श्री भानु प्रताप शाही	विद्यालय भवन बनाना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	23.02.20
44	उत्त–3	श्री विनोद कुमार सिंह	पढ़ाई प्रारम्भ कराना	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	22.02.20

पृ०पृ०उ०/–

01	02	03	04	05	06
45	टन–10	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	खेल मैदान को बचाना	पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	23.02.20
46	स–18	सुश्री अम्बा प्रसाद	मानदेय देना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	25.02.20
47	वन–5	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	छात्रावास का निर्माण	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	23.02.20
48	ख–4	श्री भानु प्रताप शाही	खादान चालू कराना	खान एवं भूतत्व	23.02.20
49	ख–3	श्री किशुन कुमार दास	मुआवजा देना	खान एवं भूतत्व	23.02.20
50	उत–1	श्री सुदिव्य कुमार	विश्वविद्यालय की स्थापना	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	18.02.20
51	ख–8	श्री कमलेश कुमार सिंह	अवैध बालु उठाव पर रोक	खान एवं भूतत्व	24.02.20
52	उ0–1	श्री सरयु राय	जाँच कराना	उद्योग	22.02.20
53	स–6	श्री सोनाराम सिंकु	विद्यालयों को पुनः चालू कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	22.02.20
54	ख–6	श्री इन्द्रजीत महतो	पीट वाटर का उपयोग	खान एवं भूतत्व	24.02.20
55	उत–6	श्री उमा शंकर अकेला	महिला महाविद्यालय की स्थापना	उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	23.02.20
56	टन–9	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	पर्यटक स्थल घोषित करना	पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य	23.02.20

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

राँची
दिनांकः–03 मार्च, 2020 ई0

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03/2020–576/वि0स0, राँची, दिनांकः– 01/03/2020

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान–सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

29/03/20

(संजीत कुमार)
उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0/–

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03/2020–....576..../वि0स0, राँची, दिनांकः– 01/03/2020

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान–सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

29/02/20

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–प्रश्न–03/2020–....576..../वि0स0, राँची, दिनांकः– 01/03/2020

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/ आवश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/20

उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

29.02.2020

सत्यनी/–

(21)

श्री इन्द्रजीत महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–टन–13 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड स्थित तिलैया वन–स्थली क्षेत्र में प्रति वर्ष दूर–दूर से पर्यटक आते है ;	धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड स्थित तिलैया गाँव में वनस्थली नाम से एक उच्च विद्यालय है, जो वन भूमि के बाहर रैयती जमीन पर है। तिलैया ग्राम में 28.99 है0 वन भूमि है, जो 2 खण्डों में है। यहाँ पर्यटकों के आवागमन की सूचना नही है।
(2)– क्या यह बात सही है कि तिलैया वन–स्थली क्षेत्र में पर्यटकों के लिए समुचित सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ;	तिलैया स्थित वन भूमि पर पर्यटकों के आवागमन की सूचना नही है। वन विभाग में इस वन भूमि पर पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(3)–यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में उल्लेखित स्थल को सारी सुविधाओं के साथ पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–14 / 2020– 776 व0प0, राँची, दिनांक– 02-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–293 दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/20
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–14 / 2020– 776 व0प0, राँची, दिनांक– 02.03.2020

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–208 दिनांक–25.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/20
विशेष कार्य पदाधिकारी

(22)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–05

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र शैक्षणिक दृष्टिकोण से अभी भी पिछड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों से डिग्री कॉलेज दूर रहने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं खासकर छात्राओं को आवागमन में कठिनाईयों हो रही है;	राजमहल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बी0एल0एन0एल0 बोडरा, महाविद्यालय, राजमहल स्थायी सम्बद्ध महाविद्यालय है। साहेबगंज जिला मुख्यालय में दो अंगीभूत महाविद्यालय यथा–साहेबगंज महाविद्यालय, साहेबगंज तथा महिला महाविद्यालय, साहेबगंज में पठन–पाठन का कार्य हो रहा है। साथ ही राज्य सरकार के स्तर से मौंढल महाविद्यालय साहेबगंज (राजमहल) की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पदों का सृजन किया गया है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के प्रखण्ड मुख्यालय उधवा में डिग्री कॉलेज के स्थापित नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं के साथ–साथ उनके अभिभावकों को भी कठिनाईयाँ हो रही है, जिसके निर्माण की मांग वर्षों से की जाती रही है;	अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज निर्माण/स्थापित कर स्थानीय छात्र–छात्राओं को उच्चतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय आदेश संख्या–1956 दिनांक–07.09.2016 के आलोक में विधानसभावार डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर महाविद्यालय के स्थापना का निर्णय नहीं लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–03/2020 336 / राँची दिनांक– 02/03/2020 /

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–237 दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(23)

466
02/03/2020

श्री किशुन कुमार दास, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–04
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अंतर्गत पत्थलगड्डा, सिमरिया, मयूरगंज, लालींग, टण्डवा प्रखण्डों में कन्या उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज नहीं रहने के कारण वर्णित प्रखण्डों के छात्रायें उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही है;	अस्वीकारात्मक। चतरा जिला के प्रश्नाधीन प्रखण्डों में संचालित उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र. सं	प्रखण्ड	उच्च विद्यालय/+2 उच्च विद्यालय की संख्या	कुल नामांकित छात्र की संख्या	कुल नामांकित छात्राओं की संख्या	बालिका उच्च विद्यालय की संख्या	बालिका उच्च विद्यालय में नामांकित छात्राओं की संख्या
1	पत्थलगड्डा	07	506	754	1	222
2	सिमरिया	13	2085	2597	2	699
3	मयूरहण्ड	06	1002	1018	1	79
4	लावालींग	11	856	993	1	173
5	टण्डवा	15	1822	2740	2	864
	कुल	52	6271	8102	7	1777

क) उपर्युक्त विद्यालयों के अतिरिक्त प्रश्नाधीन प्रखण्डों में निजी विद्यालय भी संचालित है, जिनकी संख्या–15 है।

ख) चतरा जिला में कुल नामांकित छात्रों का लगभग दो तिहाई नामांकन सरकारी विद्यालयों में है।

ग) उपरोक्त 52 विद्यालयों में से 13 विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर तक की पढ़ाई होती है।

घ) प्रश्नाधीन 05 प्रखण्ड में संचालित कुल 52 उच्च विद्यालय/+2 उच्च विद्यालयों में उपरोक्त 07 विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए है। शेष सभी विद्यालयों में सह–शिक्षा की व्यवस्था है, जहाँ छात्र एवं छात्रा दोनों की पढ़ाई होती है।

2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्णित स्थानों पर कन्या उच्च विद्यालय तथा इंटर कॉलेज बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में उत्तर सन्निहित है।

02/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–03/2020–466 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2020
सरकार के उप सचिव।

(24)

श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 03.03.2020 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–03 का उत्तर–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री अमित कुमार मंडल, सदस्य विधान सभा	श्री मिथलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत मेदनीनगर, डाल्टेनगंज स्थित कोयल नदी शाहपुर में चर्चित एक नया किला एवं एक पुराना ऐतिहासिक किला जीर्णशीर्ण एवं जर्जर पड़ा है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस ऐतिहासिक किला को देश–विदेश में पहचान एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित कर निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिलान्तर्गत शाहपुर किला के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन का कार्य पूर्व से स्वीकृत एवं कार्यान्वयाधीन था परन्तु जिला स्तर पर गठित जाँच दल द्वारा उक्त कार्य बंद कराते हुए नये सिरे से विशेषज्ञ के माध्यम से कार्य कराने का अनुशंसा किए जाने का संसूचन उपायुक्त, पलामू द्वारा अपने पत्रांक 56/जि०यो० दिनांक 24.01.2019 द्वारा किया गया है, तथा अद्यावधि कार्य बंद है। नये सिरे से उक्त कार्य की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–04/2020 258 / राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 76/वि०स० दिनांक 20.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/2/2020
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(25)

श्री सुदिव्य कुमार, स० वि० स० द्वारा दिनांक– 03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– वन–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य की एक बड़ी आबादी सुदूर जंगलों में जो गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अपना घर बनाकर निवास कर रहे हैं, उन्हें आज तक जमीन के पट्टे नहीं दिये गये है;	अस्वीकारात्मक । वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राज्य में परम्परागत वन निवासियों को 56708, अन्य परम्परागत वन निवासियों को 3158 पट्टे साथ ही 2104 सामुदायिक कुल 61970 दावों का वन पट्टा जिसमें 60617.72 एकड़ वन भूमि व्यक्तिगत दावों के लिए तथा 43499.76 एकड़ सामुदायिक दावों के अन्तर्गत कुल 104066.98 एकड़ भूमि सन्निहित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वनाधिकार नियम–2006 के आलोक में उक्त ग्रामीणों को जमीन का पट्टा देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप ग्राम सभा के द्वारा स्वीकृति के पश्चात् जिसे वन अधिकार समिति के माध्यम से अनुमण्डलीय वन अधिकार समिति तथा तत्पश्चात् जिला वन अधिकार समिति के समक्ष रखा जाता है तथा समस्त अर्हताओं को पूर्ण करने वाले दावों को स्वीकृत करते हुए वन पट्टा निर्गत किये जाने का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 03/अ० उ०नि० (वि०स०) – 01/2020 – 620 राँची, दिनांक– 02.03.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 38, दिनांक– 18.02.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/3/20
(अभिमन्यु महथा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(20)

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत पेटवार प्रखण्ड के दामोदर नदी पर बना तेनुघाट डैम मिट्टी से बना एशिया महादेश का सबसे बड़ा डैम (बांध) है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि तेनुघाट डैम में पर्यटन की असीम संभावनाएँ है, जिसे रामगढ़ जिला अवस्थित पतरातु डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तेनुघाट डैम को पतरातु डैम की भांति पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	विभागीय अधिसूचना संख्या–01,दिनांक 22.02.2019 द्वारा यह स्थल श्रेणी–B का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। पतरातु का राजधानी राँची से निकट होने तथा आकर्षक घाटी से होकर जाने वाले रास्ते के कारण यहाँ की पर्यटक संभावना तथा पर्यटकों की संख्या काफी अधिक है। तेनुघाट की पर्यटक संभावना व यहाँ पर्यटकों की संख्या इस स्तर का नहीं है। अतः इसे पतरातु की भाँति विकसित करना प्रस्तावित नहीं है। तेनुघाट में एक टूरिस्ट कॉम्पलेक्स निर्मित है तथा झारखण्ड पर्यटन विकास लि० द्वारा संचालित है, जहाँ पर्यटको हेतु आवासन एवं भोजन सुविधा उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 06 / 2020 260 / राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–156 / वि०स०, दिनांक–22 / 02 / 2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2020
सरकार के संयुक्त सचिव

(27)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–14 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र के हैदरनगर प्रखण्ड में देवी धाम एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है;	1.	**स्वीकारात्मक**
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित धार्मिक स्थल पर प्रत्येक वर्ष नवरात्र के अवसर पर दो बार देश स्तरीय मेला का आयोजन होता है जिसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों यथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, प० बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि से लाखों श्रद्धालु आते है तथा प्रतिदिन श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा खण्ड (1) में वर्णित देवी धाम को पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं दिया गया है;	3.	**स्वीकारात्मक**
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत देवी धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	इस स्थल पर विवाह मण्डप, शौचालय, स्नानागार, पेयजल व स्ट्रीट लाईट की सुविधा है। पलामू जिला के मोहम्मदगंज प्रखण्डान्तर्गत भीम चूल्हा पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है। तदनुसार प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति पलामू को 3.50 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/15/2020 265 /राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–395/वि०स०, दिनांक–25/02/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

(28)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–07 का उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श को–ऑपरेटिव, भारत एकता से लेकर सतनपुर तक अवस्थित पहाड़ी पर अब तक वृक्षारोपण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हुआ है ;	वर्णित क्षेत्र में जो वन भूमि अवस्थित है उसमें वर्ष 1997 से वृक्षारोपण का कोई काम नही हुआ है।
(2)– क्या यह बात सही है कि उक्त पहाड़ी पर वृक्षारोपण होने से पहाड़ी का क्षय रूकेगा और इस क्षेत्र में पर्यावरण संतुलित होगा ;	स्वीकारात्मक।
(3)–यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पर्यावरण की सुरक्षा आदर्श को–ऑपरेटिव, भारत एकता से लेकर सतनपुर तक अवस्थित पहाड़ी पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्णित क्षेत्र में वन भूमि पर वृक्षारोपण का प्राक्धान कार्य नियोजना, बोकारो में किया गया है। इस कार्य को समयबद्ध योजना बनाकर सपन्न किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–12 / 2020–774 व0प0, राँची, दिनांक– 02-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–291 दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

02/03/2020
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

29

श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–07

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मॉडल डिग्री कॉलेज, खरसावां के उद्घाटन के 5 माह के बाद भी कॉलेज में कक्षाएँ प्रारंभ नहीं हुई है;	वर्त्तमान में महाविद्यालय में कक्षाएँ प्रारंभ हो चुकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त महाविद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है;	विश्वविद्यालय की अधिसूचना संख्या–KU/R/61/20 दिनांक–06.02.2020 के द्वारा मॉडल महाविद्यालय सरायकेला, खरसावॉ में अंग्रेजी विषय में–01, राजनीतिशास्त्र में–01, इतिहास में–01, हिन्दी में–01 तथा भूगोल विषय में 01 कुल 05 घंटी आधारित शिक्षकों को पदस्थापित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर वर्णित कॉलेज में कक्षाएँ शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कक्षाएँ आरंभ हो चुकी है एवं महाविद्यालय की प्रगति हेतु विश्वविद्यालय प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–06/2020 339 / रांची दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–295 दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

30

श्री केदार हजरा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 03.03.2020 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–08 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री केदार हजरा, सदस्य विधान सभा	*श्री मिथलेश कुमार ठाकुर माननीय प्रभारी मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण स्तर पर युवाओं के शारीरिक विकास के लिए सरकार द्वारा सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में स्टेडियम का निर्माण कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक–एक स्टेडियम निर्माण हेतु निर्णय है जिस क्रम में प्रति विधान सभा एक–एक स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। गिरिडीह जिला अंतर्गत 13 प्रखण्ड है जिसमें कुल 07 प्रखण्डों (तिसरी, गिरिडीह, बिरनी, जमुआ, बगोदर, गाण्डेय एवं गांवा) में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड अंतर्गत मिर्जागंज में बनाए गए स्टेडियम की स्थिति काफी जर्जर हो जाने के कारण स्थानीय युवाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक। श्री केदार हजरा, तत्कालीन सचेतक, सतारूढ़ दल, झारखण्ड विधान सभा के तत्कालीन विभागीय खेल मंत्री को संबोधित पत्रांक 59/17 दिनांक 29.08.2017 द्वारा जमुआ विधानसभा के मिर्जागंज अवस्थित स्टेडियम मरम्मति का अनुरोध किया गया था, जिस क्रम में विभागीय पत्रांक 329 दिनांक 13.10.17 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से उक्त स्टेडियम मरम्मति के प्रस्ताव की मांग की गई थी, जो अद्यावधि अप्राप्त है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जर्जर मिर्जागंज स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, गिरिडीह से प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–09/2020 262 / राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 160/वि०स० दिनांक 22.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/2/2020
सरकार के संयुक्त सचिव

(3)

श्री केदार हाजरा, स०वि०स० द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–04

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा में एक भी सरकारी डिग्री महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए गिरिडीह मुख्यालय जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह मुख्यालय की दूरी करीब 50 से 55 किलोमीटर होने के कारण गरीब छात्र–छात्रा उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जमुआ मुख्यालय में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय आदेश संख्या–1956 दिनांक–07.09.2016 के आलोक में जमुआ विधान सभा में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जानी है। इस हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–02/2020 332/ रांची दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–151 दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

32

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करना चाहती है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड में स्थित तोपचाँची झील प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफी सुन्दर है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोपचाँची झील को पर्यटन स्थल का दर्जा देकर उसके समुचित विकास करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	विभागीय अधिसूचना संख्या–01, दिनांक 22.02.2019 द्वारा यह स्थल श्रेणी–C का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। इस प्रकार के स्थलों के विकास हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन समिति, (DTPC) धनबाद को विगत चार वित्तीय वर्ष में ₹3.28 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) दिया गया है। उक्त राशि से आवश्यकतानुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति, धनबाद द्वारा प्रश्नाधीन स्थल पर आवश्यक कार्य कराना उक्त समिति (समिति में मा० विधायक भी सदस्य है) के निर्णय व समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 02 / 2020 257 / राँची, दिनांक 29·02·2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–41 / वि०स०, दिनांक–18 / 02 / 2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

(33)

श्री सोनाराम सिंकु, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के रामतीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में दिनांक–14 जनवरी, 2015 को राजकीय मेला के रूप में तत्कालीन सरकार द्वारा घोषणा किया गया है;	1	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि घोषणा के पाँच वर्षो बाद भी रामतीर्थ पर्यटन स्थल को आधारभूत संरचना नहीं किया एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है;	2	अस्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रामतीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत सारंडा जंगल, हिरणी जलप्रपात तथा केरा मंदिर स्थान पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है। तद्नुसार प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति पश्चिमी सिंहभूम को ₹2.99 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/07/2020 261 /राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–152/वि०स०, दिनांक–22/02/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

34

458
02/03/2020

<table>
<tr><td colspan="3">श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–10
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–</td></tr>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड के मुण्डो एवं चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत जो सुदूर जंगल मे अवस्थित है, वहां उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नहीं होने से यहां के गरीब बच्चे समुचित शिक्षा से वंचित हो रहे है ;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना–2748 दिनांक 18.11.2008 द्वारा प्रत्येक 05 किमी की परिधि तथा 5000 की आबादी पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित है।
क) कोडरमा जिला के प्रखण्ड मुख्यालय चन्दवारा से मोण्डो पंचायत की दूरी 08 किमी है। मोण्डो पंचायत की आबादी लगभग 6000 है। इस पंचायत में संचालित मध्य विद्यालय से निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी निम्नवत है:–
<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>मध्य विद्यालय</th><th>वर्ग अष्टम में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या</th><th>निकटतम उच्च विद्यालय</th><th>दूरी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उ0म0 विद्यालय, पिपराही</td><td>19</td><td>उ0उच्च विद्यालय, जौंगी</td><td>06</td></tr>
<tr><td>2</td><td>म0 विद्यालय, चौराही</td><td>38</td><td>उ0उच्च विद्यालय, जौंगी</td><td>05</td></tr>
<tr><td>3</td><td>उ0म0 विद्यालय, मोण्डो</td><td>56</td><td>उ0उच्च विद्यालय, जौंगी</td><td>2.5</td></tr>
</table>
मोण्डो पंचायत में उच्च विद्यालय उत्क्रमण की आवश्यकता नहीं है।
ख) हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत की आबादी लगभग 5000 है। इस पंचायत मे अवस्थित मध्य विद्यालय निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं</th><th>मध्य विद्यालय</th><th>वर्ग अष्टम में अध्ययनरत् छात्रों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>म0 विद्यालय, भगहर</td><td>32</td></tr>
<tr><td>2</td><td>म0 विद्यालय, उर्दू परसातरी</td><td>13</td></tr>
<tr><td>3</td><td>म0 विद्यालय, भण्डार</td><td>14</td></tr>
</table>
भगहर पंचायत से निकटतम विद्यालय उच्च विद्यालय, बसरिया है, जो 12 किमी की दूरी पर संचालित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रारम्भ करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>भगहर पंचायत के अंतर्गत संचालित तीनों विद्यालय मे यद्यपि पर्याप्त छात्र संख्या नही है। मध्य विद्यालय, भगहर मे पर्याप्त भूखंड है। इसका उत्क्रमण तथा मध्य विद्यालयों का पुनर्गठन किया जा सकता है। एक उच्च विद्यालय में 11 शिक्षक स्वीकृत करना होता है तथा शिक्षक इत्यादि पर अनुमानित व्यय रू. 80–100 लाख होता है। शिक्षकों के समुचित उपयोग हेतु लगभग 300 से अधिक छात्र रहने पर ही समुचित उपयोग संभव होता है। 300 छात्र रहने पर प्रति छात्र प्रतिवर्ष व्यय लगभग रू. 27–30 हजार होता है, जो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के प्रति छात्रा के सम्तुल्य होता है।</td></tr>
</table>

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–05/2020 458 राँची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(35)

श्री दिनेश विलियम मरांडी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–07

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखण्ड के आलुबेड़ा पंचायत के विसनपुर नार्थ ब्लॉक में WPDCL को कोयला उत्खनन का कार्य आवंटित है परन्तु उक्त कार्य संबंधित कम्पनी द्वारा B.G.R कम्पनी जो बाहर की कम्पनी है को पेटी कान्ट्रेकर के रूप आवंटित कर दिया गया है;	उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक–361 दिनांक–27.02.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के लोक उपकम The West Bengal Power Development Corporation Ltd. (WBPDCL) को पछवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक आवंटित है। उक्त कंपनी के द्वारा M/s Panchhwara Coal Mining Pvt. Ltd. (PCMPL) को खुली निविदा के माध्यम से Mine Development & Operator नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि M/s PCMPL एक Consortium of B.G.R & NCC कंपनी है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित कम्पनी को उक्त क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत जिसमें लोक कल्याणकारी कार्य जैसे शिक्षा (स्कूल) स्वास्थ्य (अस्पताल) आदिवासी कल्याण हेतु उनके अनुरूप योजनाओं को चलाना एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करना है;	लोक कल्याणकारी कार्य जैसे शिक्षा (स्कूल) स्वास्थ्य (अस्पताल) आदिवासी कल्याणकारी योजना WBPDCL द्वारा ही किया जाना है एवं यह कोल ब्लॉक अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा उत्खनन कार्य माह नवंबर 2019 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें अद्यावधि Continuously उत्पादन नहीं किया जा रहा है। कंपनी के द्वारा कल्याणकारी योजना संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन बतायी गई है। पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं सी0टी0ओ0 में दिये गये शर्तानुसार ही कार्य किया जा रहा है।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड (2) में वर्णित कम्पनी द्वारा सरकारी मापदण्डो के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड रहा है,	WBPDCL पश्चिम बंगाल सरकार के लोक उपकम है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित CSR मापदण्ड के अनुसार कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित कम्पनी पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	अबतक ऐसी कोई जानकारी/सूचना संज्ञान में नहीं आयी है। नियम के उल्लंघन का सूचना प्राप्त होने पर नियुमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(ता0)–10/2020 339 /एम0, राँची, दिनांक– 2.3.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 394 दिनांक–25.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के उप सचिव

(36)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–03 का उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि लोकसभा चुनाव के समय 18 मार्च, 2019 को लातेहार जिला के मनिका थाना द्वारा एक निजी वाहन से करीब तेरह लाख रूपये नगद बरामद किया गया था, जिसे पलामू व्याघ्र परियोजना (पीटीआर) के वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा ले जायी जा रही थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। 18 मार्च, 2019 को मनिका थाना, लातेहार जिला द्वारा एक निजी वाहन से 11.5 लाख रूपया बरामद किया गया था।
(2)– क्या यह बात सही है कि संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी ने पुलिस को बताया कि यह पैसा पीटीआर के बारसांठ क्षेत्र में मजदूरी के भुगतान के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के पत्रांक–1058, दिनांक– 21.08.2018 द्वारा राज्य में सभी भुगतान कैशलेश कराने का निर्देश दिया गया है ;	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के पत्रांक–1058 दिनांक–21.08.2018 की कंडिका–9 में मजदूरी भुगतान बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किए जाने का निदेश है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड ने अपने पत्र क्रमांक–4141 दिनांक–20.12.2019 में प्रतिवेदित किया है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी बारेसाँढ़ द्वारा रूपये 11.5 लाख की बैंक से निकासी मजदूरी भुगतान हेतु बारेसाँढ़ डाकघर में जमा करने के लिए की गई थी।
(3)– क्या यह बात सही है कि पलामू व्याघ्र परियोजना के उप निदेशक ने भारी मात्रा में कैश ले जाने, बिना सुरक्षा के कैश ले जाने तथा लंबी दूरी वाले उग्रवाद प्रभावित असुरक्षित मार्ग से कैश ले जाने तथा कैश में भुगतान करने के कारण संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश दिया था ;	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना ने अपने पत्र क्रमांक–979 दिनांक–07.06.2019 में वन क्षेत्र पदाधिकारी के आचरण को सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली के नियम–3(1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल प्रतिवेदित किया था। उन्होंने उक्त पत्र में यह उल्लेख भी किया था कि वह श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव समर्पित करने की कार्रवाई कर रहे हैं।
(4)– क्या यह बात सही है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के बदले मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड ने पलामू व्याघ्र परियोजना के उप निदेशक के विरूद्ध ही तल्ख टिप्पणी की कार्रवाई कर दी है ;	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक–1219 दिनांक–26.09.2019 में प्रतिवेदित किया है कि इस मामले में किसी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।
(5)–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह जाँच कराने का विचार रखती है कि लोकसभा चुनाव के समय असुरक्षित एवं लंबी दूरी वाले उग्रवाद प्रभावित मार्ग से कैश ले जाने का उद्देश्य क्या था ? पीटीआर के अन्य सभी क्षेत्रों से इस दौरान कुल कितने कैश की निकासी की गई है और किस कारण से मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड ने ऐसा करने वाले का बचाव किया ?	वन विभाग ने इस मामले के सभी बिन्दुओं की विस्तृत जाँच एवं पलामू व्याघ्र परियोजना (PTR) में कैश निकासी की जाँच त्रिसदस्यीय समिति द्वारा करवाने का निर्णय लिया है। इस समिति के सदस्य श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, भा0व0से0, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची, श्री अशोक कुमार, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), राँची एवं श्री ए0 टी0 मिश्र, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता, राँची हैं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–07/2020– 772 व0प0, राँची, दिनांक– 02-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–159 दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/2020

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

VIDHAN SABHA-2020 V.K

(37)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ० 02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की स्थापना हो चुकी है, जिसका मुख्यालय देवघर में अवस्थित है;	संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की स्थापना हो चुकी है और वर्त्तमान में यह झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय है।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड (1) में वर्णित प्राधिकार के गठन पश्चात् देवघर जिला छोड़कर संथाल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत अन्य जिला खासकर साहेबगंज जिला में औद्योगिक इकाई स्थापित करने एवं रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड (1) में वर्णित प्राधिकार द्वारा वर्त्तमान में साहेबगंज में आद्योगिक ईकाईयाँ स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संथाल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत जिला साहेबगंज में प्राधिकार के माध्यम से औद्योगिक ईकाई स्थापित कर स्थानीय को रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	संथाल परगना प्रमण्डल के सभी छः जिलों के लिए मेगा हैण्डलूम कलस्टर, गोड्डा अन्तर्गत 705 बुनकरों को लूम आपूर्ति कर रोजगार से जोड़ा गया है। इसके अन्तर्गत देवघर शिल्प ग्राम एवं भगैया में कुल 05 इकाई की स्थापना की जा रही है जिससे संथाल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत सभी छः जिलों के बुनकरों को रोजगार मिलने की संभावना है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–03/2020 233 राँची, दिनांक:– 27/2/20

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–245 दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/20
सरकार के संयुक्त सचिव

(38)

श्री अमित कुमार मंडल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–01

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री:–

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत हरिपुर, जोगीडीह, धाटबंका, दुबराजपुर, सैदापुर, ढोढरी, दरधट्टा सनातन, उरकुसिया, सनौर, कोरियाना, अमरपुर समेत अन्य स्थानों से अवैध बालू का उठाव वे रोक–टोक जारी है;	जिला अन्तर्गत खनिजो के अवैध खनन/ अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु जिला टास्क फोर्स (खनन) गठित है। जिला टास्क फोर्स द्वारा जिला अन्तर्गत अवस्थित बालूघाटों से बालू के अवैध उठाव एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निरंतर छापामारी की जाती है तथा बालूघाटों से बालू का अवैध उठाव नही हो इस हेतु सतत् निगरानी रखी जाती है। जिला टास्क फोर्स की बैठक मे उपायुक्त, गोड्डा द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन मे अंचल अधिकारी द्वारा बालूघाटों पर चौकीदार की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मौजा– धाटबंका, दुबराजपुर, सैदापुर, ढोढरी, दरधट्टा, सनातन, उसकुरिया, सनौन, कोरियाना आदि घाटों से निरीक्षण के क्रम मे अवैध मामले पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है। साथ ही पथरगामा, गोड्डा एवं पोड़ैयाहाट मे 12 स्थानों पर बालू, खनिज के अवैध भण्डारण पाये गये, जिसे जब्त कर अवैध भण्डारणकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बालू वित्तीय वर्ष मे खनिजो के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन मे कुल 512 वाहनों को पर कार्रवाई की गई है, जिसमे विभिन्न थाना मे 127 प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 61.69 लाख रूपये की वसूली भी की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि दो महीने मे अवैध बालू लदे वाहनों की चपेट मे आने से दो मौत कारगिल चौक गोड्डा में, रजौन मोड़–पथरगामा मे एक महिला की मौत एवं पथरगामा के तेलनीमोड़ पर एक व्यक्ति की मौत और एक की मौत ग्राम– दलदली में हुई है;	गोड्डा जिला अन्तर्गत बालू वित्तीय वर्ष मे गोड्डा नगर थाना अन्तर्गत खनिज लदे वाहन से कारगिल चौक गोड्डा के पास दुर्घटना से दो व्यक्तियों की मौत हुई थी, जिसके विरूद्ध गोड्डा नगर थाना मे काण्ड संख्या–306/19, दिनांक–04.12.2019 दर्ज है, पथरगामा थाना अंतर्गत रजौन मोड़ के पास तथा तेलनीमोड के पास खनिज लदे वाहनों से दुर्घटना के कारण एक महिला एवं एक व्यक्ति की मौत हुई थी जिसमे पथरगामा थाना मे क्रमशः काड संख्या–188/19, दिनांक–02.12.2019 एवं 24/20 दिनांक–14.01.2020 दर्ज है। इसी प्रकार गोड्डा (मु0) थाना अन्तर्गत ग्राम दलदली के पास खनिज लदे वाहन की दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है जिसमे काड संख्या–15/2020, दिनांक– 29.01.2020 दर्ज है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति के नाम पर छापामारी होती है, परन्तु प्रशासन पूर्ण रूप से अवैध बालू खनन एवं उठाव बिक्री पर रोक लगाने मे पूर्णतः विफल है। जिसकी जानकारी आये दिन स्थानीय अखबारो में प्रकाशित होते रहती है;	यथा कंडिका–1
4	क्या यह बात सही है कि व्यापक पैमाने पर अवैध बालू के उठाव से गोड्डा जिले में विभिन्न जगहों पर जल स्तर काफी नीचे चला गया है,	बालू खनिज का अवैध उठाव पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से औचक निरीक्षण एवं छापेमारी की जाती है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध बालू खनन में लगे वाहनों को रोकने के लिए कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	जिला टास्क फोर्स (खनन) के सदस्यो द्वारा खनिज लदे वाहनों पर नियमित रूप से जाँच की जाती है तथा वाहनों से अवैध रूप से खनिजों का परिवहन नही हो इसके लिए दृढ संकल्प है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(मा0)–03/2020 343 /एम0, राँची, दिनांक– 2.3.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप स0 प्र0 77 दिनांक 20.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के उप सचिव

(29)

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत कसमार प्रखण्ड स्थित सेवाती घाटी, दुर्गापुर पहाड़ी तथा मृगखोह तथा राम लखन टुंगरी अपनी धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं, प्राकृतिक खूबसूरती, घाटी, झरना, नदी, पहाड़ों के कारण लोगों को आकर्षित करती है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सेवाती घाटी, दुर्गापुर पहाड़ी मृगखोह एवं राम लखन टुंगरी में पर्यटन की असीम संभावनाएँ है तथा यहाँ हजारों–हजारों की संख्या मे दूर–दूर से लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते है तथा हरेक साल मकरसंक्राति के अवसर पर आयोजित भव्य टुसु मेला में काफी संख्या मे लोग आते है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक यहाँ आस–पास के लोग पिकनिक मनाने आते है तथा टुसु मेला लगता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कसमार प्रखण्ड में स्थित सेवाती घाटी, दुर्गापुर पहाड़ी तथा मृगखोह तथा राम लखन टुंगरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	बोकारो जिलान्तर्गत लुगू बुरू, तेनुघाट डैम, दलाही कुण्ड तथा भैरव स्थान पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है। तद्नुसार प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में वहाँ अतिरिक्त आवश्यक सुविधा विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति बोकारो को ₹4.00 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/05/2020.....259...../राँची, दिनांक.....29.02.2020.....

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–157/वि०स०, दिनांक–22/02/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

(40)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

326
02/03/2020

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में खोरठा एवं ओलचिकी, भाषा के बोलने वाले लोग क्रमशः कितनी संख्या में निवास करते है ;	वस्तुस्थिति यह है कि ओलचिकी भाषा नहीं बल्कि संथाली भाषा की लिपि है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा भाषा संबंधी अधिसूचना निर्गत की जाती है। अद्यतन विभिन्न जिलों में बोलने, समझने एवं लिखने वाले भाषा की संख्या निर्धारित नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के स्कूलों में खोरठा एवं ओलचिकी भाषा की पढ़ाई नहीं करायी जाती है ;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली–2012 (यथा संशोधित) की अनुसूची–1 में जिला हेतु क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा चिन्हित है। किसी एक भाषा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की जाती है। खोरठा एवं संथाली की मान्यता वाले जिले में उक्त भाषा से उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिले में क्रमशः 3667 एवं 356 सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए है। विगत शैक्षणिक सत्र में संथाली भाषा के 17091 पाठ्यपुस्तक वितरित किये गये है। इसी प्रकार अन्य भाषा के भी पाठ्यपुस्तक वितरित किये गये है एवं शिक्षक नियुक्ति हुए है। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं के नियुक्त जानकार शिक्षकों के माध्यम से वितरित पाठ्यक्रम के अनुरूप स्थानीय प्रचलित भाषा में पठन–पाठन का कार्य संचालित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खोरठा एवं ओलचिकी भाषा की पढ़ाई राज्य के प्रत्येक स्कूलों में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों अंकित है।

3/3/2020

सरकार के अवर सचिव

Ranchi

(41)

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–08 का उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला अंतर्गत खुंटपानी प्रखण्ड के उलीगुटू सीमा से कोटसोना गाँव तक का पथ वन विभाग के अधीन आता है ;	स्वीकारात्मक।
(2)– क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त कच्ची सड़क के पक्कीकरण (PCC) से ग्रामीणों को आवागन में काफी सहुलियत होगी ;	वर्तमान में निकटवर्ती ग्रामवासियों द्वारा वन पथ का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।
(3)–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित पथ का पक्कीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वन विभाग द्वारा वन पथों का पक्कीकरण नहीं किया जाता है। यदि कोई अन्य प्रयोक्ता अभिकरण उक्त पथ का पक्कीकरण करना चाहता है, तो उन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रस्ताव समर्पित करना होगा।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–13 / 2020– 775 व0प0, राँची, दिनांक–02-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–292 दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/20
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

42

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित
प्रश्न संख्या–उत–02

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संचालित राजा शिव प्रसाद महाविद्यालय, झरिया का स्थानान्तरण बेलगढ़िया, धनबाद स्थित हाई स्कूल में किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि आर0एस0पी0 महाविद्यालय, झरिया का बेलगढ़िया स्थानान्तरण होने के पश्चात् वहाँ पढ़ाई का स्तर गिर गया है तथा छात्र/छात्राओं को यातायात की असुविधा होने के कारण कॉलेज में 80 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति घट गई है;	1. पढ़ाई का स्तर नहीं गिरा है जिसका विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षाफल से दृष्टिगोचर होता है। महाविद्यालय के शिक्षकगण नियमित तथा वर्ग संचालन हेतु निश्चित समय पर महाविद्यालय आते है। 2. छात्र/छात्राओं को यातायात की थोड़ी असुविधा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में आर0एस0पी0 महाविद्यालय, झरिया का नया भवन निर्माण होने तक, पूर्व के भांति झरिया स्थित पुराने कॉलेज भवन में पठन–पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झरिया में कई दशको से भूमिगत आग लगी हुई है। भूमिगत आग से खतरे को देखते हुए तथा जान–माल की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार के द्वारा महाविद्यालय को पुराने कॉलेज भवन से बेलगढ़िया, धनबाद स्थानांतरित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–04/2020 330 / राँची दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–78 दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(43) 321
02/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री भानु प्रताप शाही, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-12

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिले के प्रखण्ड नगरउँटारी में 10+2 कस्तुरबा विद्यालय का भवन नहीं होने की वजह से नगरउँटारी के अधौरा ग्राम के बी.आर. सी. भवन में पढ़ाई संचालित है;	स्वीकारात्मक। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नगरउँटारी के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन का निर्माण नहीं किया जा सका है।
2.	क्या यह बात सही है कि विद्यालय भवन नहीं होने की वजह से बच्चियाँ नारकीय जीवन जीने को मजबूर है;	अस्वीकारात्मक। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय वर्तमान में प्रखण्ड संसाधन केन्द्र नगरउटारी में संचालित है। इस परिसर में कुल नामांकित 282 छात्राओं के पठन-पाठन के लिए कुल 06 कमरे एवं आवासन के लिए प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में उपलब्ध 02 शयन कक्ष सहित 03 कमरे तथा विद्यालय परिसर के 03 अन्य कमरों कुल 08 कमरों में बच्चों के अवासन की व्यवस्था है। इस परिसर में उपलब्ध शौचालय एवं स्नानघर के अतिरिक्त विद्यालय परिसर 04 शौचालय का निर्माण जिला स्तर से कराया गया है। आवासीय परिसर के लिए अलग चाहरदिवारी निर्मित है। यह अस्थायी व्यवस्था है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्राओं के परेशानी को देखते हुए कस्तुरबा विद्यालय भवन बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के भवन निर्माण हेतु न्यूनतम पांच एकड़ भूमि आवश्यक है। न्यूनतम् 3.5 एकड़ तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध होते ही विधिवत् प्रक्रिया पूर्ण करते हुए भवन निमार्ण का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

24/3/2020

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि-1-11/2032/ रॉंची, दिनांक 02/03/ 2020

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 252, दिनांक 23-02-2020 के प्रसंग मे वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020

सरकार के अवर सचिव

पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय सत्र में दिनांक 03.03.2020 को श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर में पोलिटेकनिक इंस्टीच्यूट का भवन बन कर तैयार है;	– स्वीकारात्मक
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पोलिटेकनिक इंस्टीच्यूट, बगोदर में पढ़ाई प्रारम्भ करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– पोलिटेकनिक संस्थान में शैक्षणिक वर्ष 2020–21 से पढ़ाई प्रारंभ करनें की योजना है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0शि0वि0स0–03 / 2020 217 /राँची, दिनांक– 02.03.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 153 दिनांक 22.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखन्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/03/2020

(सरकार के अवर–सचिव)

(45)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 03.03.2020 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–10 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, सदस्य विधान सभा	*श्री मिथलेश कुमार ठाकुर माननीय प्रभारी मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राँची जिला के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज स्थित ऐतिहासिक खेल मैदान को कब्जा करने की साजिश की जा रही है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि आजादी के पूर्व से ही इस मैदान में खेल तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम होते रहे है एवं इस मैदान पर आज तक किसी के द्वारा दावेदारी नहीं किया गया था,	प्रश्नगत भूमि 01.01.1946 के पूर्व कोलोनाईजेशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया को निबंधित दस्तावेज से भूतपूर्व जमींदार द्वारा हस्तांतरित है एवं कोलोनाईजेशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित किया गया है। भूमि खाली रहने के कारण इसे खेल मैदान के रूप में उपयोग किया जाता रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि मध्य विद्यालय लपरा इसी मैदान के पश्चिम में स्थित है,	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ऐतिहासिक खेल मैदान के भूमि को सरकारी व्यवस्था से भू–अधिग्रहण कर ऐतिहासिक खेल मैदान को बचाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	भूमि सोसाइटी की है, अतः अस्वीकारात्मक है। विभाग द्वारा संचालित क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु सरकारी भूमि पर मैदान विकसित/उन्नयन किये जाते है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम एवं जिला स्तर पर स्टेडियम का निर्माण सरकारी भूमि पर ही कराया जाता है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–11/2020 264 / राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 240/वि०स० दिनांक 23.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/2/2020

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

(46)

329
02/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

सुश्री अम्बा प्रसाद, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-16

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रसोईया संघ का गठन किया गया है.	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा रसोईया संघ का गठन नहीं किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके संचालनार्थ विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अधीन सरस्वती वाहिनी संचालन समिति गठित है। इस समिति द्वारा छात्र संख्या के आधार पर रसोईया का चयन किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में 25 तक के नामांकन पर एक रसोईया, 100 के नामांकन पर दो रसोईया एवं इससे अधिक प्रत्येक 100 नामांकन पर एक अतिरिक्त रसोईया का प्रावधान है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोईयों को प्रतिदिन मात्र 42 रुपया के दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है.	वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार रसोईया–सह–सहायिका का मानदेय रु. 1000/– प्रति माह (केन्द्र 60 प्रतिशत: राज्य 40 प्रतिशत) एवं राज्य योजना मद से रुपये 500/– अतिरिक्त अर्थात कुल रु. 1500/– प्रति माह वर्त्तमान में दिया जा रहा है यह मात्र 10 माह तक ही देय है।
3.	क्या यह बात सही है कि इनको साल में मात्र 10 महीने का ही मानदेय का भुगतान किया जाता है.	स्वीकारात्मक। मध्याह्न भोजन का संचालन एक वर्ष में लगभग 240–250 दिन ही होता है, जो लगभग 8 माह के करीब होता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन रसोईयों को सरकार द्वारा जो निर्धारित मजदूरी दर है, उसके समतुल्य साल में 12 माह का मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

25/2/2020
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.-08/2020 – 329 राँची, दिनांक 02/03/ 2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 387, दिनांक 25-02-2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/20
सरकार के अवर सचिव

Khushbu

(42)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–05 का उत्तर सामग्री:–

प्रश्न	उत्तर
(1)– क्या यह बात सही है, कि अपर समाहर्त्ता राँची के द्वारा राँची जिला के खलारी अंचल अन्तर्गत बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु मौजा कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट नं0–102, रकबा–0.40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर अपर समाहर्त्ता राँची के पत्रांक–2949 जी, दिनांक–28/11/13 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है ;	अपर समाहर्त्ता, राँची के पत्रांक 2949(II)/रा0 दिनांक–28.11.2013 द्वारा खेलारी अंचल के मौजा–कोनका, थाना नं0–08, खाता नं0–26, प्लॉट संख्या–102, रकबा–0.40 एकड़ गैर मजरूआ भूमि किस्म जंगल झाड़ी भूमि पर बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण हेतु भूमि के हस्तान्तरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग की गई है, ना कि उनके द्वारा अनापत्ति दी गई है।
(2)– क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपर समाहर्त्ता राँची के पत्रांक–___ क्रमांक–2948W, 2950D & 2949G दिनांक–28/11/13 के द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची को भेजा जा चुका है ;	
(3)–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में बॉलीबॉल प्रशिक्षण छात्रावास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त उल्लेखित भूमि वन भूमि की श्रेणी में आती है। वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत् सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण (सरकारी विभाग सहित) से वनभूमि पर विषयांकित गैर वानिकी कार्य करने हेतु उपरोक्त उल्लेखित अधिनियम के तहत् विहित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विषयांकित संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–10/2020–773 व0प0, राँची, दिनांक–02-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–249 दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2/3/20

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

(18)

श्री भानु प्रताप शाही, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–04

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के प्रखण्ड भवनाथपुर में हेसलदाग, रमना प्रखण्ड में चना बरहिया एवं धुरकी प्रखण्ड में खाला खुटिया में लाईम स्टोन एवं कोयला का विशाल भण्डार है;	1. खुटिया (धुरकी प्रखण्ड) में लाईम स्टोन तथा डोलोमाईट खनिज के लिए किये गये भूतात्विक अन्वेषण उपरांत क्षेत्र में लाईम स्टोन (0.0258MT) तथा डोलोमाईट (1.528MT) खनिज की उपलब्धता पायी गयी। कोयले का निक्षेप नहीं पाया गया है। 2. गढ़वा जिला के रमुना प्रखण्ड अन्तर्गत चाना ग्राम के इर्द गिर्द लगभग 90–95 एकड क्षेत्रों में जमीन के सतह पर Patch के रूप में डोलोमाईट के निक्षेप पाये गये हैं। ग्राम बरहिया एवं इसके इर्द गिर्द डोलोमाईट/लाईम स्टोन के किसी प्रकार का कोई निक्षेप नहीं पाया गया है। 3. हेसलदाग (प्रखण्ड भवनाथपुर) में लाईम स्टोन की उपलब्धता की जाँच हेतु कार्य योजना तैयार कर अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में विशेष सर्वेक्षण भी कराया जा चुका है;	1. खुटिया (धुरकी प्रखण्ड) में लाईम स्टोन तथा डोलोमाईट खनिज के लिए विशेष सर्वेक्षण कराया गया है। 2. चाना, बरहिया में लाईम स्टोन तथा डोलोमाईट खनिज के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण कराया गया है। 3. हेसलदाग (प्रखण्ड भवनाथपुर) में लाईम स्टोन खनिज क्षेत्र में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 में इंगित सभी जगहों पर लाईम स्टोन एवं कोयला खदान चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	1. खुटिया (धुरकी प्रखण्ड) में लाईम स्टोन तथा डोलोमाईट खनिज के खदान चालू करने हेतु खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रकिया प्रारंभ की गयी है। 2. ग्राम– चाना में डोलोमाईट की उपलब्धता, भण्डार एवं कोटि के आकलन हेतु इस क्षेत्रीय सत्र में अन्वेषण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। 3. हेसलदाग (प्रखण्ड भवनाथपुर) में लाईम स्टोन की उपलब्धता, भण्डार एवं कोटि के आकलन उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(ता0)–06/2020 337 /एम0, राँची, दिनांक– 2·3·2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 241 दिनांक 23.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020

सरकार के उप सचिव

50

श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे इस जिला के छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा से वंचित हैं।	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में गिरिडीह जिला मुख्यालय में महान वैज्ञानिक सर जे0 सी0 बोस के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चूंकि गिरिडीह जिला अन्तर्गत उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालय संचालित हैं, अतः छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। वर्त्तमान में गिरिडीह जिलान्तर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–01/2020 331 / राँची दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–37 दिनांक–18.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(51)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–08

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव का भारी मात्रा में असामाजिक तत्वों के द्वारा दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है जिससे प्राकृतिक संपदा व झारखण्ड सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है;	हुसैनाबाद अनुमण्डलान्तर्गत वर्तमान में बालू भण्डारण हेतु 03 बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत है, जिसमें वैध बालूघाटों से खनिज परिवहन चालान द्वारा ही बालू का भण्डारण किया गया है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटो से अवैध बालू का उठाव रोकने हेतु कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	हुसैनाबाद अनुमण्डलान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध की गई कार्रवाई निम्न है:– जप्त वाहनों की संख्या–45 ट्रैक्टर, 01 हाईवा एवं 02 पोकलेन वसूली की जुर्माना की राशि–1,28,000.00 व्यक्तियों पर दर्ज प्राथमिकी की संख्या–06 गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या–01

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–11/2020 342 /एम0, राँची, दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 391 दिनांक 25.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के उप सचिव

(52)

श्री सरयू राय, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ० 01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के तत्कालीन विकास आयुक्त वर्ष 2018 में झारक्राफ्ट के माध्यम से कम्बल उत्पादन/खरीद की आरंभिक जांच में पायी गयी अनियमितता के आलोक में उद्योग सचिव को निर्देश दिया था कि इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से करायें;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से नहीं करायी गयी है;	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है सी0ए0जी0 के ऑडिट प्रतिवेदन में कम्बल बुनने के लिए पानीपत से धागा लाने, बुने गये कम्बलो को धुलाई के लिए पानीपत को ले जाने और धुले हुए कम्बलो को पानीपत से राँची एवं झारखण्ड के अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए दिखाई गयी परिवहन व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारक्राफ्ट में कम्बल क्रय में हुए अनियमितताओं के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–02/2020 234 राँची, दिनांक:– 27/2/20

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–158 दिनांक–22.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/20
सरकार के संयुक्त सचिव

(57)

323
02/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सोनाराम सिंकु, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-06

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न
क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -</th><th>उत्तर
श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर निर्वाचन क्षेत्र जगन्नाथपुर प्रखण्ड एवं नोवामुण्डी प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय–देवगाँव, गौड़दिघिया, जिरपाई, तालासाई एवं जेटेया के विद्यालयों को तत्कालीन सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि जगन्नाथपुर एवं नोवामुण्डी प्रखण्ड के निम्न विद्यालयों का विलय किया गया है :–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>विलय किये गये विद्यालय</th><th>जिस विद्यालय में विलय किया गया है</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्राथमिक विद्यालय, देवगाँव</td><td>उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सियाजलोड़ा</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्राथमिक विद्यालय, गौड़दिघिया</td><td>उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पुरतीदिघिया</td></tr>
<tr><td>3</td><td>एस.एस.ए. प्राथमिक विद्यालय, तालासाई</td><td>उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुगादिघिया</td></tr>
<tr><td>4</td><td>उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, गागासाई (जेटेया)</td><td>+2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जेटेया</td></tr>
</table>
उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिरपाई का पुनर्गठन नहीं किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का जीवन अंधकार में चला गया है;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि विद्यालय बंद होने से एक गाँव से दूसरे विद्यालय जाने में दस कि.मी. का रास्ता तय करना पड़ता है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
पुनर्गठित विद्यालयों की दूरी निम्नवत् है :–
1. प्राथमिक विद्यालय, देवगाँव से उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सियाजलोड़ा की दूरी– शून्य किलोमीटर।
2. प्राथमिक विद्यालय, गौड़दिघिया से उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पुरतीदिघिया की दूरी– 01 किलोमीटर।
3. एस.एस.ए. प्राथमिक विद्यालय, तालासाई से उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुगादिघिया की दूरी– 01 किलोमीटर।
4. उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, गागासाई (जेटेया) से +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जेटेया की दूरी–शून्य किलोमीटर।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बंद किए गए विद्यालयों को पुनः चालू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>इस खण्ड का उत्तर उपर्युक्त खण्डों में निहित है।</td></tr>
</table>

3/3/2020

सरकार के अवर सचिव

Khushio

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14/S.2-03/20-323 / राँची, दिनांक 02/03/ 2020

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 150, दिनांक 22-02-2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/2020

सरकार के अवर सचिव

(54)

श्री इन्द्रजीत महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–06

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– माननीय मंत्री:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि कोयला खादानों से निकलने वाले पीट वाटर को पाईप लाईन के द्वारा आस–पास के तालाबों एवं खेतों में पहुंचाने की कार्ययोजना बनायी गयी है;	खदान में उपलब्ध पानी के उपभोग हेतु एक Mou Coal India Ltd., खान एवं भूतत्व विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। उक्त हस्ताक्षरित MoU के तहत कोयला खदानों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग स्थानीय क्षेत्र एवं जनता के विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किया जाना है।
2-	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में जयरामपुर मोड़ के पास कोयला खदान से प्रतिदिन लाखों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो रहा है;	जिला खनन पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से BCCL से प्राप्त उत्तर के अनुसार जयरामपुर मोड से निष्कासित पीट वाटर को बर्बाद नही किया जा रहा है। इसका उपयोग खदान के आवागमन पथ पर जल छिड़काव में उपयुक्त होने वाले स्प्रिंक्लर को भरने हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त टैंकर द्वारा भी, इस पानी को आसपास अवस्थित बस्ती में घरेलू कामकाज में उपयोग हेतु दिया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोयला खादानों से निकलने वाले पीट वाटर को पाईप लाईन के द्वारा आस–पास के तालोबों एवं खेतों में पहुंचाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	इस कंडिका का उत्तर पेय जल एवं स्वच्छता विभाग से अपेक्षित है। इस संबंध में MADA द्वारा BCCL क्षेत्र के बरारी, बोर्रागढ़, जिनगोड़ा, जयरामपुर, लौदना, जियलजगोरा, इन्द्रानगर एवं इन्द्रानगर–2 (कुल आठ) क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु निविदा कर कार्य आवंटित है, कार्य पूर्ण करने की अवधि 2 वर्ष है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(ता0)–09/2020 338 /एम0, राँची, दिनांक– 2·3·2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 294 दिनांक 24.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के उप सचिव

श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–03.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–06

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमण्डल मुख्यालय में महिला महाविद्यालय एवं चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री तथा महिला महाविद्यालय नहीं होने से इस इलाके की गरीब छात्र–छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित से बरही अनुमण्डल मुख्यालय में एक महिला महाविद्यालय एवं चौपारण प्रखण्ड मुख्यालय में डिग्री तथा महिला महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में बरही विधान सभा में राज्य सरकार द्वारा डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रखण्ड स्तर पर डिग्री तथा महिला महाविद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–05/2020–333 / रांची दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–235 दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/03/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.03.2020 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–09 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला मुख्यालय गढ़वा में एक देवी मंदिर जो अत्यंत प्राचीन है और गढ़देवी मंदिर के नाम से विख्यात है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि मंदिर में प्रत्येक दिन श्रद्धालु दर्शनार्थ आते है और वर्ष में दो बार सावन पूर्णिमा एवं दशहरा के नवरात्र में भारी भीड़ होती है जहाँ अगल–बगल के जिलों के श्रद्धालु आते है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मंदिर परिसर को पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है। राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुसंशा पर राज्य के प्रमुख स्थलों को विभागीय अधिसूचना संख्या–01, दिनांक 22.02.2019 द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत वंशीधर मंदिर, तवबहिनी झरना तथा गुरू सिंधु जलप्रपात पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित है। पुनः पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने पर विचार हेतु विभागीय पत्रांक 218, दिनांक 26.02.2020 द्वारा सभी जिला से प्रतिवेदन व जिला पर्यटन संवर्धन समिति (DTPC) की अनुशंसा माँगी गई है। जिला पर्यटन संवर्धन समिति (DTPC) व राज्य पर्यटन संवर्धन समिति (STPC) की अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन स्थल सहित पर्यटन महत्व के अन्य स्थलों को समुचित श्रेणी में पर्यटक स्थल अधिसूचित करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/10/2020 263 /राँची, दिनांक 29.02.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–238/वि०स०, दिनांक–23/02/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism